International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
May-June 2017, Volume-4, Issue-3
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

भारतीय जनजाति समुदाय की वैवाहिक परम्पराओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 हरिचरण मीना
समाज शास्त्र विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सवाईमाधोपुर

शोध सारांशः–

प्रत्येक समुदाय में विवाह एक आधारभूत महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। विवाह एक ऐसा रिश्ता है जिसे सामाजिक रूप से मंजूरी दी जाती है। रिवाज,परम्परा और कानुन द्वारा इस सम्बंध को परिभाषित एवं अनुमोदित किया जाता हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक जनजातियाँ निवास करती है। इन जनजातियों को भारत की सबसे आदिम निवासी होने के कारण आदिवासी कहा जाता है। इनके विवाह के अपने–अपने भिन्न भिन्न तरीके एवं परम्पराये है। प्रत्येक समाज अपने जीवन साथी चयन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करता है। उसी प्रकार जनजाति समाजों में भी कुछ निश्चित नियमों एवं परम्पराओं की पालना की जाती हैं। भारत के प्रत्येक जनजाति समुदाय की कुछ भिन्न परम्पराए होती हैं फिर भी अधिकांश जनजातियो की परम्पराए एक दूसरे की परम्पराओ से मिलती जुलती ही हैं। जनजाति समुदाय के सभी सदस्यों को अपने जीवन साथी का चयन करते समय विवाह के निषेधात्मक और निर्धारित नियमों एवं परम्पराओं का पालन करना होता हैं।

भारतीय जनजाति समुदायों की वैवाहिक परम्पराओं में समय के साथ साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा है। फिर भी भारतीय जनजाति समूदायों में जीवन साथी चुनने के पुरातन रीति–रिवाज एवं परम्परा आज भी देखने को मिलते है जो कि भारत की आदिम संस्कृति को प्रस्तुत करते है। वैवाहिक परम्पराओं में सगाई, रोकना, लग्न, टीका, मिलणी, गणेश स्थापना, वैवाहिक लोकगीत, तेल, मण्डप, मांडा, भात, मायरा, बारात, फैरे, विदाई इत्यादि परम्पराओं की पालना आज भी जनजाति समुदायों मे की जाती हैं। जनजाति समाज भारत का बड़ा एवं आदिम समुदाय होने के कारण उनके वैवाहिक परम्पराओं और जीवन साथी चुनने की विधियों का अध्ययन शोध के लिए उपयोगी साबित होगा।

संकेताक्षरः–

वैवाहिक परम्परा, सगाई, रोकना, लग्न, टीका, मिलणी, गणेश स्थापना, वैवाहिक लोकगीत, तेल, मण्डप, मांडा, भात, मायरा, बारात, फैरे, रिश्ता, अनुमोदित, निषेधात्मक, उत्कृष्टतम, यौन–इच्छाओं, विषम लिंगियों, दण्डनीय, परिवीक्षा, सामंजस्य, क्रयविवाह, किरगीज, अपहरण, ऊपर–टिवी, रंग बंग कुड़ी, गोल गधेड़ो, शक्ति परीक्षण, ब्याह, बंधन,

प्रस्तावनाः–

भारतीय जनजाति समुदाय मे विवाह परम्परा आदिकाल से प्रचलित रही हैं। प्रत्येक समुदाय में विवाह एक आधारभूत महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। विवाह एक ऐसा रिश्ता है जिसे सामाजिक रूप से मंजूरी दी जाती है। विवाह जीवन साथी चुनने वाली एक परम्परागत सामाजिक संस्था हैं। विवाह मानव समाज द्वारा परम्परागत, कानुनी एवं प्रथागत तरीके से मनुष्य के जीवन को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया संस्थान हैं। विवाह मानव जीवन की आधारभूत महत्तपूर्ण सामाजिक संस्था है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे सामाजिक रूप से स्वीकृति दी जाती है। रिवाज और कानुन द्वारा इस सम्बंध को परिभाषित एवं अनुमोदित किया जाता हैं। भारत के विभिन्न भागों में अनेक जनजातियाँ निवास करती है। इन जनजातियों को भारत की सबसे आदिम निवासी होने के कारण आदिवासी कहा जाता है। इनके विवाह के अपने–अपने भिन्न भिन्न तरीके है। प्रत्येक समाज अपने जीवन साथी चयन करने के लिए कुछ नियमों एवं परम्पराओं का पालन करता है। उसी प्रकार जनजाति समाजों में भी कुछ निश्चित नियमों एवं परम्पराओं की पालना की जाती हैं। सदस्यों को अपने जीवन साथी का चयन करते समय विवाह के परम्परागत, निषेधात्मक और निर्धारित नियमों का पालन करना होता हैं।

भारतीय जनजाति समुदाय में विवाह संस्था बहुआयामी तथा विभिन्न आवश्यकताओं की पुर्ति के साधन के रूप में प्रचलित रही है।वैवाहिक परम्पराओं में सगाई, रोकना, लग्न, टीका, मिलणी, गणेश स्थापना, वैवाहिक लोकगीत, तेल, मण्डप, मांडा, भात, मायरा, बारात, फैरे, विदाई इत्यादि परम्पराओं की पालना आज भी जनजाति समुदायों मे की जाती हैं। इस संस्था की आवश्यकता धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति, यौन सम्बन्धों की तृप्ति, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण तथा वंश परम्परा को चलाने इत्यादि के लिए रही है। समय–समय पर भिन्न भिन्न समाजो में विवाह के पक्षों में परिवर्तन होता रहा है।

भारतीय जनजातियों में विवाह परम्परा उतनी ही महत्वपूर्ण रही है जितनी अन्य समाजों में किन्तु विवाह की उपयोगिता और महत्व पृथक–पृथक जनजातियों में पृथक पृथक रहा है।

भारतीय जनजाति समुदायों में वैवाहिक जीवन साथी चयन की परम्पराएः–

भारतीय जनजाति समुदायों में विवाह के लिए पति या पत्नी का चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया एवं परम्परा है। विभिन्न मानव वैज्ञानिकों ने विवाह के जीवन साथी प्राप्त करने के जितने प्रकारों का वर्णन किया है वे सभी प्रकार प्रायः जनजातियों में पाये जाते है। भारतीय जनजातियों के वैवाहिक जीवन साथी चयन की निम्नलिखित परम्पराए एवं तरीके पाये जाते है।

परीक्षा विवाह परम्पराः–परीक्षा विवाह वस्तुतः शक्ति परीक्षण विवाह है। जिसमें शारीरिक रूप से बलिष्ठ एवं निपुण व्यक्ति विवाह का अधिकारी होता है। जनजातियों का जीवन प्रायः कठिनाइयों से भरा होता है। ऐसी स्थिति में लड़कियॉ ऐसे युवक से विवाह करना पसंद करती है जो शक्तिशाली और ताकतवर हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह अपनी पत्नी की रक्षा कर सके। इस विवाह का सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण गुजरात की भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला आयोजन है जिसे

''गोल गधेड़ो'' नाम से जाना जाता है। होली के अवसर पर एक स्थान पर बीच में एक बॉस गाड़ दिया जाता है जिस पर नारियल तथा गुड़ बॉध दिया जाता है। इसके चारों और अविवाहित लड़के लड़कियॉ दो घेरों में नृत्य करते है। अन्दर वाले घेरे में लड़कियॉ तथा बाहर के घेरे में लड़के नृत्य करते है। नृत्य करते समय जो सबसे शक्तिशाली युवक अपनी वीरता तथा शारीरिक बल का प्रदर्शन कर लड़कियों के घेरे को तोड़ कर गुड़ व नारियल प्राप्त करने सफल हो जाता है वह उन लड़कियों में से किसी को भी विवाह के लिए चुन सकता है। इस प्रकार का विवाह का आधार शक्ति परीक्षण में सफलता को माना जाता है।

परिवीक्षा विवाह परम्पराः—इस प्रकार के विवाह में विवाह के इच्छुक युवक युवती को विवाह के पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है ताकि विवाह के बंधन में बंधने से पहले वे एक दूसरे को समझने का प्रयास कर लें। यदि इस काम में दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते है तो उन्हें विवाह करने दिया जाता है। इस प्रकार के विवाह का उदाहरण असम की कुकी जनजाति में पाया जाता है जहॉ प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर जाकर निवास करता है। यदि प्रेमी—प्रेमिका के स्वभाव में सामंजस्य हो जाता है तो वे विवाह करने लिए स्वतन्त्र होते है अन्यथा युवकों को क्षतिपूर्ति के रूप में युवती के पिता को कुछ धनराशि देनी पड़ती है। साथ ही उल्लेखनीय यह है कि इतने दिन युवक के साथ रहने पर भी युवती विवाह करने के लिए मना कर सकती है।

क्रय विवाह परम्पराः—सामान्यतया अधिकांश जनजातियों में पत्नी के चयन के लिए क्रय विवाह पद्धति को अपनाया जाता है। अर्थात् पत्नी को प्राप्त करने के लिए वधू मूल्य अथवा कन्या मूल्य चुकाना पड़ता है। कन्या मूल्य की प्रथा से कई आर्थिक प्रश्न जुड़े है। यह माना जाता है कि लड़की के माता पिता उसके पालन पोषण के बदले में विवाह के समय उसका मूल्य प्राप्त करते हैं इसका एक पहलू यह भी है कि कन्या मूल्य पिता के परिवार में कन्या की आर्थिक उपादेयता का प्रतीक है तथा जिसके विवाह में दिये जाने पर वे आर्थिक क्षति के हकदार बन जाते है। इस प्रकार की परिपाटी विश्व की अन्य जनजातियों में भी पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया की किरगीज जनजाति में यह प्रथा पाई जाती है। भारत वर्ष में संथाल हो, उरॉब, खड़िया, गौंड, भील आदि जनजातियों में यह प्रथा विद्यमान है लेकिन साथ ही इन जातियों में घर जवाई की प्रथा का प्रचलन भी है। तथा जो लोग घर जवाई रखते है उनमें क्रय विवाह की प्रथा होते हुए भी कन्या मूल्य नहीं दिया जाता है। इस प्रथा के समर्थकों का मानना है कि इस प्रथा में स्त्रियों को खरीदने बेचने की वस्तु नही माना जाता अपितु यह उसकी आर्थिक उपयोगिता पर आधारित है। यदपि कुछ विद्वानों ने इस की आलोचना की है।

अपहरण विवाह परम्पराः—मानव समाज में अपहरण के द्वारा विवाह की सर्वाधिक प्राचीन तथा शारीरिक बल पर आधारित प्रथा है। प्राचीन काल में एक जनजाति जब दूसरी जनजाति पर आक्रमण करती थी तो जीतने वाला पक्ष हारने वाले पक्ष की स्त्रियों को उठाकर ले जाता था तथा उनका विवाह अपनी जनजाति के युवकों से करता था। यह प्रथा नागा, हो, भील, गौंड तथा असम, बिहार एवं मध्यप्रदेश की अनेक जनजातियों में प्रचलित थी। हो लोग हरण विवाह को ''ऊपर टिवी'' कहते है। उनमें बधू

मूल्य के अत्यधिक होने की दशा में इस प्रथा का प्रचलन है ताकि युवा लड़किया अधिक समय तक कुँआरी नही बैठी रहें। इसमें स्वयं माता पिता की सहमति में लड़की अपहरण का ढोंग किया जाता हैं। गौंड जनजाति में माता पिता की सहमति से लड़की का अपहरण किया जाता है। यही बात हिमालय की घाटियों में बसी भोटिया जनजाति में भी पाई जाती है। इसमें लड़के के पक्ष के लोग हरण का नाटक कर लड़की को रंग बंग कुड़ी'' में ले आते है जबकि लड़की को माता पिता को पहले से इस अपहरण की जानकारी होती है। खड़िया, संथाल, बिरहोर जनजाति में जब आसानी से हरण नही किया जा सकता है तो लड़का मेले, उत्सव अथवा सार्वजनिक स्थान पर जिस लड़की से विवाह करना चाहता है उसके ललार पर सिंदूर लगा देते है। इस प्रकार उस लड़की पर लड़के का अधिकार माना जाता है तथा फिर दोनों का विवाह कर दिया जाता है।

विनिमय विवाह परम्पराः—जनजातियों में भी विवाह के लिये जीवनसाथी का मिलना कठिन कार्य होता है। अतः जिन परिवारों मे लड़का व लड़की दोनों विवाह योग्य होते है, वहॉ दो परिवारों के लड़के लड़की के परस्पर विनिमय से विवाह मे आसानी हो जाती है। जिस परिवार से लड़की लाई जाती है उसी परिवार में लड़की ब्याह दी जाती है। इस प्रकार दोनों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम पड़ता है। सामान्यतया भारतीय के अन्य भागों में भी इस प्रथा का चलन पाया जाता है किन्तु खासी जनजाति में इस प्रकार के विवाह का निषेध है। लॉबी के अनुसार इस प्रकार के विवाह में किसी भी पक्ष पर आर्थिक भार नही पड़ता है तथा बिना आर्थिक खर्च किये विवाह करने का यह आसान तरीका है। डेविस की मान्यता है कि जिस प्रकार अधिक दहेज तथा वधू मूल्य के आधार पर विवाहों का वर्गीकरण किया जाता है, उसी प्रकार विनिमय के आधार पर भी विवाह का वर्गीकरण किया जा सकता है।

सेवा विवाह परम्पराः—निर्धन परिवार के लड़के जो विवाह के लिये वधू मूल्य चुकाने में अपने आपको असमर्थ पाते है, उनके पास एक विकल्प अपनी सेवाएं समर्पित करने का होता है। अर्थात लड़का नौकर बन कर अपने सास सासुर की सेवा करे जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी पुत्री का विवाह उससे करने को तैयार हो जाए। गौड़ तथा बेगा जनजाति के निर्धन लड़के इस प्रथा को अपनाते हैं, वे कुछ वर्षों तक लड़की के घर पर रह कर उसके माता—पिता की सेवा करते है तथा उसके बाद ही लड़की से विवाह कर पाते है। गौंड जनजाति में ऐसे व्यक्ति को ''लामनाई'' कहते है तथा बैगा जनजाति मे उसे ''लामसेना'' की संज्ञा दी जाती है। बिरहोर जनजाति में भावी ससुर अपने भावी दामाद को कन्या मूल्य चुकाने हेतु रूपया उधार देते है तथा दामाद जब पैसा नही लौटाता है तब तक ससुर के घर में उनकी सेवा करता है। उतरप्रदेश की खस जनजाति में भी ऐसी व्यवस्था पायी जाती है।

हठ विवाह परम्पराः—इस प्रकार के विवाह मे लड़की जिस लड़के से विवाह करना चाहती है यदि वह तैयार नही होता है तो वह जबरदस्ती उसके घर में जाकर रहने लगती है। इसमें लड़के की इच्छा के

विपरीत लड़की द्वारा किये जाने वाले विवाह को जनजातियॉ 'अनादेर' के नाम से पुकारती है। चुकि लड़की जबर्दस्ती लड़के व उसके माता पिता की इच्छा के बगैर रहने लगती है, इसलिये उसे तरह–तरह की यातनाऐं तथा अपमान सहना पड़ता है। यदि इस सबसे वह विचलित नही होती है तो फिर उसका विवाह उस लड़के के साथ हो जाता है। संथालो में इसे ''निर्बोलोक बाप्ला'' कहा जाता है। लड़की चावल की शराब लेकर लड़के के घर पर रहने लगती है।घर के व्यति उसे घर से बाहर निकालने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग न कर के बाकी सभी प्रयास करते है। ये लोग घर के दरवाजे बन्द करके आग में लाल मिर्च डालते है और घर के सभी लोग बाहर निकल आते है। मिर्च की खार से घर के अन्दर रहना मुश्किल हो जाता है। यदि लड़की इसे सहन कर लेती है तो उसे परीक्षा मे सफल माना जाता है और फिर उसका विवाह उसके पसन्द के लड़के के साथ कर दिया जाता है। कमार लोगों में इसे पैठू विवाह की संज्ञा दी जाती है। स्त्री पुरूष में प्रेम प्रलाप चल रहा हो और इस बीच में युवती गर्भवती हो जाए तो भी वह अपने प्रेमी के घर में बैठ सकती है। ''कमार'' जनजाति मे अविवाहिता स्त्री के अपने प्रेमी के घर में बुरा नहीं मानते है। किन्तु समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक विवाहिता स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य के यहॉ पैठ द्वारा रहने लग जाए ऐसी स्थिति में सम्बन्धों को लेकर भारी समस्या खड़ी होती है।

सहमति तथा पलायन विवाह परम्परा:–जनजातियों में लड़के लड़कियॉ प्रायः वयस्क होने पर ही विवाह करते हैं तथा विवाह में प्रायः दोनो ंकी सहमति भी होती है। जिन जनजातियों में युवागृहों का प्रचलन है वहॉ युवक युवतियॉ अपने मनपसंद के लड़के लड़की से विवाह करने का निर्णय लेते है तथा बाद में माता–पिता की स्वीकृति से विवाह कर लेते है। किन्तु कतिपय मामलों मे माता–पिता स्वीकृति नही देते है तो भी युवक युवतियॉ भाग कर विवाह कर लेते है। इस प्रकार के विवाह में चुंकि उन दोनों की सहमति निहित होती है अतः इसे परस्पर सहमति तथा पलायन विवाह कहा जाता है। बिहार की हो जनजाति में इस प्रकार के विवाह को राजी खुशी विवाह की संज्ञा देते है। राजस्थान की भील जनजाति में भी इस प्रकार के विवाह का प्रचलन है। इस प्रकार के विवाह में कुछ समय पश्चात् माता–पिता भी स्वीकृति दे देते है तथा इसके लिये किसी प्रकार की सामाजिक संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिन जनजातियों में बाल विवाह का प्रचलन नही है वहॉ उन्मुक्त जीवन व्यवस्था के कारण इस प्रकार के विवाह का प्रचलन पाया जाता है।

निष्कर्ष:–

इस प्रकार भारत के विभिन्न जनजाति समुदायें में जीवन साथी चुनने की परम्पराए भिन्न भिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। भारत के विभिन्न प्रान्तो में जनजाति निवास करती हैं। प्रत्येक समाज अपने जीवन साथी चयन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करता है। उसी प्रकार जनजाति समाजों में भी कुछ निश्चित नियमों एवं परम्पराओं की पालना की जाती हैं। जनजाति समुदायों में आधुनिकता के दौर में भी वैवाहिक परम्पराओं में कोई ज्यादा परिवर्तन नही हुआ हैं। सदस्यों को अपने जीवन साथी का चयन करते समय विवाह के निषेधात्मक और निर्धारित नियमों का पालन करना होता हैं। जनजातियो में मुख्य रूप से

आठ प्रकार से जीवन साथी चुनने मे विश्वास करता हैं। भारत के सभी जनजाति समुदायों में विवाह के दौरान भी बहुत सारे कार्यक्रम परम्परा के अनुसार होते हैं। उन वैवाहिक कार्यक्रमों में वर्तमान समय में भी विशेष परिवर्तन नही हुए हैं।

भारतीय जनजाति समुदायों में समय के साथ साथ विवाह नामक संस्था में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा है। वैवाहिक परम्पराओं में सगाई, रोकना, लग्न, टीका, मिलणी, गणेश स्थापना, वैवाहिक लोकगीत, तेल, मण्डप, मांडा, भात, मायरा, बारात, फैरे, विदाई इत्यादि परम्पराओं की पालना आज भी जनजाति समुदायों मे की जाती हैं। अन्य समाजें के सम्पर्क के परिणामस्वरूप कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। फिर भी भारतीय जनजाति समूदायों में जीवन साथी चुनने के पुरातन रीति–रिवाज आज भी देखने को मिलते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. अटल, योगेश ''आदिवासी भारत''राजकमल प्रकाशन दिल्ली 1965 पृ.सं. 75
2. लुवा, के.के. ''दि असूर–ए स्टडी ऑफ प्रिमिटिव आइरन स्मैलटर्स'' भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली 1963 पृ.सं. 215
3. घुरिये, जी.एस. ''दी सिडयूल्स ट्राइबस'' पॉपुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,मुम्बई 1963 पृ.सं. 236
4. मजूमदार, डी.एन., ''रेसेज एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया'' नेशनल पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली 1961 पृ. सं. 192–195
5. उप्रेती, डॉ. हरिशचन्द, ''भारतीय जनजातियॉ : संरचना एवं विकास'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2007 पृ.सं. 115–119
6. दुबे,लीला ''सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप'' पोपुलर प्रकाशन बाम्बे 1974 पृ.सं.114
7. फॉक्स,रॉबिन, ''किनशिप एण्ड मैरिज'' पैंगविन बुक्स न्यूयॉर्क 1967 पृ.सं.55
8. टीबा,आर ''पूर्वोत्तर भारत और विकास की अनुसूचित जनजाति'' बी.आर प्रकाशन निगम दिल्ली 2010 पृ.सं. 61
9. कापड़िया, के.एम. ''भारत वर्ष में विवाह एवं परिवार''ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बॉम्बे 1972 पृ.सं. 144